तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **गोरधन बनाम राजस्थान सरकार** **अपील संख्या 459/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00261)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित उन्होने कथन किया है कि अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है तथा आज भी न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही एवं अधिवक्ता अपीलान्ट व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 23.10.2019 की पालना में आज दिनांक तक शेष रेस्पोडेन्ट के तलबी नोटिस पेश नही किये गये है और अधिवक्ता अपीलान्ट व अपीलान्ट की ओर से न्यायालय श्रीमान् के आदेशों की पालना नही की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट न्यायालय के आदेशों की पालना नही करने के कारण खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 व 5 के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन चल रहा है तथा दिनांक 23.10.2019 रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पूर्ण पते से पुनः रजिस्टर्ड व सादा नोटिस से तलबी के आदेश दिये गये है किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट और अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 23.10.2019 की पालना में शेष रेस्पोडेन्ट के नोटिस आज दिनांक प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही किये जाने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	